

विन्दु संख्या-12 अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति- गृह अनुदान, अहेतुक सहायता, अनुगृह अनुदान आदि दैवी आपदा पीड़ितों को विधिवत् तहसीलदारों के जांचोपरांत वितरित की जाती है । अन्य कोई अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रम इस कार्यालय द्वारा सम्पादित नहीं होता है ।